[2021] 10 एस. सी. आर. 1080

टाटा परामर्श सेवाएँ सीमित

बनाम

विशाल घिसलाल जैन, समाधान पेशेवर, एस. के. व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड

(2020 की सिविल अपील संख्या 3045)

नवंबर 23,2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और ए. एस. बोपन्ना, जे. जे.]

दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 - एस. 60 (5) (सी)

संविदात्मक विवाद-एन. सी. एल. टी. का अवशिष्ट क्षेत्राधिकार एस. 60 (5) (सी), यदि लागू किया जा सकता है-निर्माण चरण सुविधाओं का समझौता किया गया

शैक्षणिक संस्थानों के लिए परीक्षाएँ-अपीलार्थी द्वारा जारी समाप्ति सूचना-विज्ञापन-एन. सी. एल. टी. द्वारा दिए गए नोटिस पर अंतरिम रोक-एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा बरकरार रखा गया आदेश-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया: अपीलार्थी निगमित देनदार की सेवाओं का लाभ उठा रहा था और उसके द्वारा पट्टे पर दी गई संपत्ति का उपयोग कर रहा था-निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.) की शुरुआत से पहले, अपीलार्थी ने कई उदाहरणों पर निगमित देनदार को सूचित किया था कि उसकी सेवाओं में कमियां थीं और सुविधाओं के समझौते के दंड और समाप्ति खंडों को लागू किया जा सकता है - एन. सी. एल. टी. को लागू नहीं किया जा सकता है यदि किसी अनुबंध की समाप्ति कॉर्पोरेट ऋणदाता की दिवालियापन से असंबंधित आधारों पर आधारित है-वर्तमान मामले में, यह संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं है कि समाप्ति

सुविधाओं के समझौते का हिस्सा कॉर्पोरेट ऋणदाता के दिवालिया होने से प्रेरित था-इस प्रकार, एन. सी. एल. टी. के पास कोई अवशिष्ट नहीं है

वर्तमान संविदात्मक विवाद पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र जो कॉर्पोरेट ऋणदाता की दिवालियापन को नकारता है-एन. सी. एल. ए. टी. के निर्णय ने अपीलार्थी के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को अधिकार क्षेत्र के अभाव में खारिज कर दिया।

दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 एस। 238 - आयोजित किया गया: s.238

यह प्रावधान करता है कि आई. बी. सी. अन्य कानूनों को ओवरराइड करता है, जिसमें कानून के आधार पर प्रभाव रखने वाला कोई भी साधन शामिल है।

दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016-ss. 14 , 60 (5) (ग) आयोजितः गुजरात में ऊर्जा विकास बनाम। अमित गुप्ता और अन्य। 2021 (3) 1080 टी. सी. एस. लिमिटेड के रूप में सूचित किया गया।

वी. विशाल घिसलाल जैन, समाधान पेशेवर, एस. के. व्हील्स पी. वी. टी. लिमिटेड।

स्केल 776 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एन. सी. एल. टी. का अधिकार क्षेत्र एस. द्वारा सीमित नहीं है। 14 आई. बी. सी. के तहत परिकल्पित न्यायिक हस्तक्षेप के आधारों के संदर्भ में-यह अपने अवशिष्ट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है। एस. 60 (5) (सी) कानून और तथ्य के प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए जो इस अवधि के दौरान संबंधित या उत्पन्न होते हैं।

एक दिवाला समाधान प्रक्रिया-इसके अलावा, गुजरात ऊर्जा में तैयार किए गए संकीर्ण अपवाद को अंतरिम राहत के लिए प्रार्थनाओं की जांच करते समय भी एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए-एन. सी. एल. टी. की अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग उक्त निर्णय द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए - एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. को एक अनुबंध को समाप्त करने के लिए एक पक्ष के संविदात्मक अधिकार में हस्तक्षेप के संबंध में चेतावनी जारी की गई।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 धारा 238 में प्रावधान है कि आई. बी. सी. अन्य कानूनों को ओवरराइड करता है, जिसमें कानून के आधार पर प्रभाव रखने वाला कोई भी साधन शामिल है। धारा 60 (5) (सी) एन. सी. एल. टी. को कानून या तथ्य के किसी भी प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए अवशिष्ट अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है, जो इससे या उसके संबंध में उत्पन्न होता है।

निगमित ऋणदाता के दिवाला समाधान के लिए। सुविधा समझौते के खंड 12 (डी) में प्रावधान है कि समझौते से संबंधित पक्षों के बीच कोई भी विवाद मध्यस्थता का विषय हो सकता है। हालाँकि, सुविधाओं का समझौता एक है

' आई. बी. सी. की धारा 238 के तहत 'लिखत' को आई. बी. सी. के प्रावधानों द्वारा ओवरराइड किया जा सकता है। मध्यस्थता के लिए पक्षों के बीच विवाद को संदर्भित करने के लिए एक खंड का अस्तित्व निगम ऋणदाता की दिवालियापन से संबंधित विवादों पर निर्णय लेने के लिए धारा 60 (5) (सी) के तहत अपनी अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एन. सी. एल. टी. के अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं करता है। [पैरा 18,21] [1094-ए-बी; 1096-बी-सी, ई-जी]

इंडस बायोटेक (पी) लिमिटेड बनाम उच्चतम न्यायालय का कोटक इंडिया वेंचर (अपतटीय) निधि निर्णय dtd.26.03। 2021 में 2019 की मध्यस्थता याचिका (सिविल) No.48-पर भरोसा किया गया।

1.2 जबकि आर. पी. के कर्तव्य और एन. सी. एल. टी. के अधिकार क्षेत्र को जोड़ा नहीं जा सकता है, गुजरात ऊर्जा में, इस न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि

आर. पी. उन विवादों के निर्णय के लिए एन. सी. एल. टी. से संपर्क कर सकता है जो दिवाला समाधान प्रक्रिया से संबंधित हैं। लेकिन जब विवाद उत्पन्न होता है तो कॉर्पोरेट देनदार, आर. पी. की दिवालियापन का अपमान होता है। संबंधित सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करना चाहिए (पैरा 72)। अपने अवशिष्ट अधिकार क्षेत्र में एन. सी. एल. टी. को रहने का अधिकार है

समझौते की समाप्ति यदि यह गुजरात ऊर्जा में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है। किसी भी स्थिति में, [2021] 10 एस. सी. आर. द्वारा हस्तक्षेप।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. को पक्षों के बीच अनुबंध के पुनर्लेखन के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. को निगमों के संरक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

देनदार का अस्तित्व और किसी तीसरे पक्ष द्वारा कार्रवाई होने पर हस्तक्षेप कर सकता है सी. आई. आर. पी. के तहत पैर काट सकते हैं। [पारस 22,23] [1097-बी, डी-ई]

गुजरात ऊर्जा विकास बनाम। अमित गुप्ता और अन्य। (2021) 7 एससीसी

209 : 2021 (3) स्केल 776-पर निर्भर।

1.3 मान लीजिए कि अपीलकर्ता धारा 14 (2) के संदर्भ में न तो निगमित देनदार को किसी वस्तु या सेवा की आपूर्ति कर रहा है।

न ही यह ऐसी संपत्ति की वसूली करता है जो धारा 14 (1) (डी) के तहत परिकल्पित ऐसी संपत्ति के मालिक या पट्टेदार के रूप में निगमित देनदार के कब्जे या कब्जे में है। यह निगमित देनदार की सेवाओं का लाभ उठा रहा है और उस संपत्ति का उपयोग कर रहा है जो कॉर्पोरेट देनदार द्वारा इसे पट्टे पर दिया गया। अतः धारा 14 वास्तव में वर्तमान मामले में लागू नहीं होती है। हालाँकि, गुजरात ऊर्जा में यह माना गया कि आई. बी. सी. के तहत परिकल्पित न्यायिक हस्तक्षेप के आधारों के संदर्भ में एन. सी. एल. टी. का अधिकार क्षेत्र धारा 14 द्वारा सीमित नहीं है। यह धारा के तहत अपने अवशिष्ट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है।

60 (5) (ग) दिवाला समाधान प्रक्रिया से संबंधित या उसके दौरान उत्पन्न होने वाले कानून और तथ्यों के प्रश्नों पर निर्णय लेना। इससे पहले

सी. आई. आर. पी. की शुरुआत, अपीलार्थी ने कई उदाहरणों पर निगमित देनदार को सूचित किया था कि

इसकी सेवाओं में कमियाँ। निगमित ऋणदाता को सूचित किया गया था कि सुविधा समझौते के दंड और समाप्ति खंडों को लागू किया जा सकता है। यह 1 अगस्त 2018,17 सितंबर 2018,1 अक्टूबर 2018 और 11 अक्टूबर 2018 के अपीलार्थी के संचार से स्पष्ट है। 13 अक्टूबर 2018 के अपने ईमेल में अपीलार्थी ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि कॉर्पोरेट देनदार द्वारा प्रदान किया जा रहा हाउसकीपिंग कर्मचारी अपर्याप्त था। अपीलार्थी को स्पष्ट रूप से हाउसकीपिंग के लिए अपने स्वयं के कर्मचारियों को तैनात करने के लिए विवश किया गया था, जो 19 नवंबर 2018 के अपने ईमेल से स्पष्ट है।

निगमित देनदार ने स्वीकार किया है कि अपीलार्थी अपने स्वयं के हाउसकीपिंग कर्मचारियों का उपयोग कर रहा था और चालान से लागत काट रहा था। अपीलार्थी ने फिर से कॉर्पोरेट ऋणदाता को यूपीएस की दोषपूर्ण बैटरियों को बदलने और 3 फरवरी 2019 के अपने ईमेल में सफाई उत्पाद प्रदान करने के लिए सूचित किया। 10 जून 2019 का समाप्ति नोटिस भी स्पष्ट रूप से कॉर्पोरेट देनदार की सेवाओं में कमियों को दर्शाता है। [प्रस 24,25] [1099-ई-जी; 1100-डी-जी] टी. सी. एस. लिमिटेड।

वी. विशाल घिसलाल जैन, समाधान पेशेवर, एस. के. व्हील्स पी. वी. टी. लिमिटेड।

1.4 एन. सी. एल. टी. के अवशिष्ट अधिकार क्षेत्र को लागू नहीं किया जा सकता है यदि अनुबंध की समाप्ति आधारों पर आधारित है।

निगमित देनदार की दिवालियापन से असंबंधित। यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने बार-बार निगमित देनदार को सूचित किया था कि उसकी सेवाओं में कमी थी, और वह अपने संविदात्मक दायित्वों का उल्लंघन कर रहा था। यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि सुविधाओं के समझौते की समाप्ति कॉर्पोरेट देनदार की दिवालियापन से प्रेरित थी। घटनाओं के प्रक्षेपवक्र से यह स्पष्ट होता है कि समाप्ति सूचना में उल्लिखित कथित उल्लंघन कॉर्पोरेट देनदार की दिवालियापन के कारण समझौते को समाप्त करने के लिए एक स्मोकस्क्रीन नहीं थे। एन. सी. एल. टी. के पास वर्तमान संविदात्मक विवाद पर विचार करने के लिए कोई अवशिष्ट अधिकार क्षेत्र नहीं है जो कॉर्पोरेट देनदार की दिवालियापन को आहत करता है। विवाद पर अधिकार क्षेत्र के अभाव में, एन. सी. एल. टी. समाप्ति नोटिस पर अंतरिम रोक नहीं लगा सकता था। एन. सी. एल. ए. टी. ने गलत तरीके से बरकरार रखा है

एनसीएलटी का अंतरिम आदेश। [पारस 26,27] [1101-डी-जी]

1.5 किसी अनुबंध को समाप्त करने के पक्ष के संविदात्मक अधिकार में हस्तक्षेप के संबंध में एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. को सावधानी का एक नोट जारी किया जाता है। भले ही दिवालियापन के संबंध में संविदात्मक विवाद उत्पन्न हो, एक पक्ष को अनुबंध को समाप्त करने से तभी रोका जा सकता है जब यह सी. आई. आर. पी. की सफलता के लिए केंद्रीय हो। महत्वपूर्ण रूप से, अनुबंध की समाप्ति के परिणामस्वरूप निगमित होना चाहिए निगमित देनदार की मृत्यु। गुजरात

ऊर्जा में इस न्यायालय द्वारा तैयार किए गए संकीर्ण अपवाद को अंतरिम राहत के लिए प्रार्थनाओं की जांच करते समय भी एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए। एन. सी. एल. टी. के आदेश से यह संकेत नहीं मिलता है कि एन. सी. एल. टी. ने सी. आई. आर. पी. और निगमित देनदार के अस्तित्व की सफलता के लिए सुविधाओं के समझौते की केंद्रीयता पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। एन. सी. एल. टी. ने समाप्ति सूचना जारी करने में अपीलार्थी की ओर से केवल प्रक्रियात्मक दुर्बलता पर भरोसा किया है, यानी उसने सेवा में कमी को दूर करने के लिए निगमित ऋणदाता को तीस दिनों की सूचना अवधि नहीं दी है। एन. सी. एल. ए. टी. ने अपने विवादित फैसले में कहा है कि एन. सी. एल. टी. का निर्णय कॉर्पोरेट ऋणदाता की 'चालू चिंता' की स्थिति को बरकरार रखता है, लेकिन इस बात का कोई तथ्यात्मक विश्लेषण नहीं है कि सुविधाओं के समझौते की समाप्ति से कॉर्पोरेट [2021] 10 एस. सी. आर. का अस्तित्व कैसे बचेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. की घोषणाएँ। का अभ्यास एन. सी. एल. टी. की अवशिष्ट शक्तियों को उक्त निर्णय द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। एन. सी. एल. ए. टी. के फैसले को दरकिनार कर दिया गया है। अपीलार्थी के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही खारिज कर दी गई क्योंकि

अधिकारिता का अभाव। [पैरा 28-31] [1101-G-H; 1102-A; 1103-A-E]

अशोक मार्केटिंग बनाम। पीएनबी (1990) 4 एससीसी 406: [1990]

3 एस. सी. आर. 649; दूतावास संपत्ति विकास (निजी)

सीमित वी। कर्नाटक राज्य (2020) 13 एससीसी 308:

[2019] 17 एस. सी. आर. 559 संदर्भित है।

मामला कानून संदर्भ

[1990] 3 एससीआर 649

पैरा 14

(ii)

संदर्भित किया गया है

[2019] 17 एससीआर 559

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 3045

2020 से।

राष्ट्रीय संविधान के 24.06.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2020 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) No.237 में कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

सुश्री फेरेस्ते डी. सेठना, सुश्री अनुराधा दत्त, अनिकेत निंबालकर,

सुश्री सुमन यादव, अभिषेक तिलक, सुश्री अबोली मंडलिक, अमेय पंत, सुश्री बी. विजयलक्ष्मी मेनन, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सुश्री सौम्या साईकुमार, सुश्री उदिता सिंह, अधिवक्ता। के लिए

उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. यह अपील 24 जून 2020 के एक फैसले से उत्पन्न होती है

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण 1. एन. सी. एल. ए. टी. ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण 2 के 18 दिसंबर 2019 के अंतरिम आदेश को बरकरार रखा, जिसने अपीलार्थी द्वारा एस. के. व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड 3 के साथ 1 दिसंबर 2016 के अपने सुविधाओं के समझौते की समाप्ति पर रोक लगा दी।

1 " NCLAT "

2 " एन. सी. एल. टी. "या" न्यायनिर्णायक प्राधिकरण "

3 " कॉर्पोरेट देनदार "या" प्रतिवादी "टी. सी. एस. लिमिटेड।

वी. विशाल घिसलाल जैन, समाधान पेशेवर, एस. के. व्हील्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

2. अपीलार्थी और निगमित ऋणदाता ने 24 अगस्त 2015 को एक निर्माण चरण समझौता किया जिसके बाद 1 दिसंबर 2016 को एक सुविधा समझौता हुआ। सुविधाओं के समझौते ने निगम को बाध्य किया

ऋणदाता शैक्षणिक संस्थानों के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए अपीलार्थी को कुछ विशिष्टताओं और सुविधाओं के साथ परिसर प्रदान करेगा।

3. सुविधा समझौते के खंड 11 (बी) में कहा गया है कि कोई भी पक्ष लिखित सूचना द्वारा समझौते को तुरंत समाप्त करने का हकदार है।

दूसरे पक्ष ने यह प्रावधान किया कि बाद वाले द्वारा किया गया एक भौतिक उल्लंघन है नोटिस प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर ठीक नहीं हुआ। खंड 11 (बी) इस प्रकार है:

" 11. समाप्ति

(ख) सामग्री उल्लंघन के लिए समाप्ति। कोई भी पक्ष समाप्त हो सकता है

यह समझौता एक भौतिक उल्लंघन की स्थिति में दूसरे पक्ष को तुरंत एक लिखित सूचना द्वारा किया जाता है जो उक्त सूचना अवधि की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर ठीक नहीं होता है।

4. अपीलार्थी द्वारा कॉर्पोरेट देनदार को 10 जून 2019 को एक समाप्ति सूचना जारी की गई थी जो तुरंत लागू हो गई थी। पार्टियाँ। नोटिस जारी होने तक के तथ्यों का विरोध किया है।

5. अपीलार्थी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि निगमित ऋणदाता द्वारा अपने अनुबंध को पूरा करने में कई खामियां थीं।

दायित्व, जिनका वह संतोषजनक रूप से निवारण करने में विफल रहा। अपीलार्थी ने 1 अगस्त 2018 को अपने ईमेल में निगमित ऋणदाता को सूचित किया कि वह कथित संविदात्मक उल्लंघनों के लिए सुविधा समझौते के दंड खंड को लागू करने का इरादा रखता है। 17 सितंबर 2018 को एक और ईमेल कॉर्पोरेट देनदार को समझौते का पालन न करने के बारे में भेजा गया था। एक स्थल की यात्रा के बाद, अपीलार्थी ने 1 अक्टूबर 2018 को अपने ईमेल में निगमित ऋणदाता को उल्लंघनों को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया। 11 अक्टूबर 2018 को, अपीलार्थी ने निगमित देनदार को रखा

इस सूचना पर कि यह कथित गैर-अनुपालन के लिए सुविधा समझौते के दंड और समाप्ति खंडों को लागू करने के लिए विवश होगा। उस पर

13 अक्टूबर 2018 में, अपीलार्थी ने निगमित ऋणदाता को एक ईमेल भेजा जिसमें ऋण की अपर्याप्तता के बारे में अपनी चिंताओं पर प्रकाश डाला गया।

हाउसकीपिंग कर्मचारी और उपस्थिति में प्रवेश के संबंध में उनके कदाचार। अंततः 19 नवंबर 2018 को, अपीलार्थी ने [2021] 10 एस. सी. आर. को सूचित किया।

निगमित देनदार कि वह अपने हाउसकीपिंग कर्मचारियों को तैनात करेगा और चालान से लागत की कटौती करेगा। 3 फरवरी 2019 को, अपीलार्थी ने कॉर्पोरेट देनदार को एक ईमेल लिखा जिसमें अन्य कमियों के साथ-साथ बिजली की आपूर्ति और हाउसकीपिंग कर्मचारियों की कमी के मुद्दे उठाए गए।

6. निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की गई थी

29 मार्च 2019 को कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ। अपीलार्थी ने आरोप लगाया है कि उसे कॉरपोरेट कर्जदार के खिलाफ सी. आई. आर. पी. के बारे में तब पता चला जब बिजली बोर्ड ने 24 अप्रैल 2019 को कॉरपोरेट कर्जदार को बिजली की आपूर्ति काट दी।

7. 29 मई 2019 को कॉर्पोरेट देनदार ने अपने ईमेल में आरोप लगाया कि अपीलकर्ता आवश्यक भुगतान और बिजली देने में विफल रहा है।

इसके परिणामस्वरूप संपर्क टूट गया। 30 मई 2019 के अपने जवाब में, अपीलार्थी ने कहा कि:

(i) यह पता चला कि इसके खिलाफ सी. आई. आर. पी. शुरू की गई थी।

कॉर्पोरेट ऋणदाता जब बिजली काट दी गई थी;

((ख)

निगमित देनदार को कोई राशि देय नहीं थी; और

€

मार्च 2019 के लिए भुगतान करने में देरी हुई क्योंकि कॉर्पोरेट देनदार ने बैंक खाते के विवरण में बदलाव का अनुरोध किया। अप्रैल 2019 के लिए कोई चालान नहीं उठाया गया था।

8. अपीलार्थी का दावा है कि निगमित देनदार द्वारा सामग्री के उल्लंघन के परिणामस्वरूप रु। 20,78,500 . यह शुरू नहीं हुआ अधिरोपित अधिस्थगन के कारण वसूली की कार्यवाही

दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 की धारा 14 3.

9. अपीलार्थी ने सुविधा समझौते के खंड 11 (बी) के संदर्भ में 10 जून 2019 को समाप्ति का नोटिस जारी किया। समाप्ति

नोटिस में इस प्रकार कहा गया है:

" महत्वपूर्ण व्यावसायिक मुद्दों को हल करने के हमारे सभी ईमानदार प्रयासों के बावजूद, हमें हमेशा आपकी ओर से अलग-अलग प्रतिक्रिया मिली है। अंत और गैर-अवलोकन की ये घटनाएं अब समझौते के निम्नलिखित नियमों और शर्तों के उल्लंघन में परिणत हो गई हैं।

1. परीक्षा और गैर-परीक्षा के दिनों में व्यक्तिगत कौशल के न्यूनतम स्तर को बनाए नहीं रखना जो कि अनुसार गैर-अनुपालन है

अनुलग्नक बी, तालिका सी, और प्रक्रिया का उल्लंघन भी।

4 " सीआईआरपी "

5 " आईबीसी "टी. सी. एस. लिमिटेड।

वी. विशाल घिसलाल जैन, समाधान पेशेवर, एस. के. व्हील्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

2. दिशानिर्देशों को प्रस्तुत करना और डिजाइन करना (अनुलग्नक बी, तालिका डी)

पालन नहीं किया जाता है

ए) फर्नीचर टूटी हुई स्थिति

ख) प्रयोगशाला, सर्वर कक्ष और यूपीएस कक्षों में तापमान और वेंटिलेशन

ग) आवास कर्मचारियों की तैनाती
घ) स्वच्छता और केंद्र का रखरखाव

3. ब्रांडिंग और नौवहन सुविधा समझौते के अनुलग्नक एफ के साथ समन्वय में नहीं है

वनों से प्रभावित सभी घटनाओं को देखते हुए, इसे समझौते के खंड 11 (बी) के अनुसार समाप्ति की सूचना के रूप में देखें, जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड ("टी. सी. एस".) को समाप्त करने का अधिकार देता है।

लिखित सूचना जारी करके तत्काल प्रभाव से समझौता 30 दिनों के भीतर किसी भौतिक उल्लंघन का इलाज नहीं होने की स्थिति में।

कृपया ध्यान दें कि ग्राहक/सेवा प्राप्तकर्ता के रूप में हमारे और सेवा प्रदाता/विक्रेता/एल. आई. एस. पी. के रूप में आपके बीच संबंध कायम है। 10 जून से समाप्त हो गया।

10. निगमित देनदार की ओर से, यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा कुछ नियमित परिचालन आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला गया था

समय-समय पर, जिन्हें उचित अवधि के भीतर ठीक किया गया था। कॉर्पोरेट देनदार ने कथित तौर पर रुपये का निवेश किया है। 8.35 अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए करोड़। निगमित ऋणदाता के अनुसार, अपीलार्थी द्वारा 11 अक्टूबर 2018 के अपने पत्र में उठाई गई कमियों को अक्टूबर 2018 के अंत तक दूर कर लिया गया था। कॉर्पोरेट देनदार ने आगे कहा है कि फरवरी 2019 तक कुछ अन्य मामूली मुद्दों को ठीक कर दिया गया था। कॉरपोरेट देनदार द्वारा प्रदान किए गए हाउसकीपिंग कर्मचारियों के संबंध में कमी कथित रूप से तब ठीक हो गई जब अपीलार्थी ने अपने स्वयं के कर्मचारियों को काम पर रखा। निगमित देनदार ने दावा किया है कि उसने दोषपूर्ण बैटरी बदलने और सफाई उत्पाद प्रदान करने के संबंध में 3 फरवरी 2019 को अपने ईमेल में सूचित अपीलार्थी के निर्देशों का पालन किया। कॉर्पोरेट देनदार ने आगे कहा है कि अप्रैल 2019 में बिजली बोर्ड द्वारा बिजली काट दी गई थी, लेकिन अंततः इसे बहाल कर दिया गया था। यह कहा गया है कि अप्रैल-मई 2019 में कुछ बैठकें आयोजित की गईं जिनमें समाधान पेशेवर ने अपीलार्थी को सूचित किया कि नहीं

इसके प्रति पूर्वाग्रह पैदा होगा और समझौते के अनुसार सभी सेवाएं और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, लेकिन अपीलार्थी ने एकतरफा रूप से 10 जून 2019 को तत्काल प्रभाव से समझौते को समाप्त कर दिया। निगमित देनदार ने इस आधार पर समाप्ति सूचना जारी करने का विरोध किया है कि कोई भौतिक उल्लंघन नहीं हुआ है, और किसी भी स्थिति में, सुविधाओं के खंड 11 (बी) के तहत समझौते को समाप्त करने से पहले दोषों को ठीक करने के लिए एक पक्ष को तीस दिनों की अवधि दी जानी है।

समझौता।

एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष कार्यवाही

11. कॉर्पोरेट देनदार ने समाप्ति नोटिस को रद्द करने के लिए आई. बी. सी. की धारा 60 (5) (सी) के तहत एन. सी. एल. टी. के समक्ष एक विविध आवेदन दायर किया। एन. सी. एल. टी. ने 18 दिसंबर 2019 को एक आदेश पारित किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा जारी समाप्ति नोटिस पर एक विज्ञापन-अंतरिम रोक दी गई और अपीलार्थी को सुविधाओं के समझौते की शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया गया। एन. सी. एल. टी. ने पाया कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है

कि अनुबंध को तीस दिनों की अपेक्षित सूचना दिए बिना समाप्त कर दिया गया था। एन. सी. एल. टी. का निष्कर्ष नीचे दिया गया है:

" इसके अलावा यह भी एक मामला है कि बर्खास्तगी कानूनी रूप से अच्छी है या बुरी।

जाँच, जिसके लिए तथ्य की जाँच की आवश्यकता होती है और

परिस्थितियाँ। इस परिदृश्य में, हमारा प्रथम दृष्टया मानना है कि निगमित देनदार को नोटिस दिए बिना भी अनुबंध की समाप्ति सही नहीं है।

उसी को ध्यान में रखते हुए, हम एतद्द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा जारी समाप्ति सूचना पर रोक लगाते हैं। तब तक प्रतिवादी का पालन करेगा

बिना किसी असफलता के अनुबंध की शर्तें। "

एन. सी. एल. टी. के आदेश में कहा गया है कि उसने समाप्ति सूचना के संचालन पर सही ढंग से रोक लगा दी है क्योंकि आई. बी. सी. का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निगमित ऋणदाता एक चालू चिंता बना रहे। एन. सी. एल. ए. टी. ने धारा 14 का उल्लेख इस बात पर प्रकाश डालने के लिए किया कि एक चालू चिंता के रूप में अपनी स्थिति की रक्षा के लिए कॉर्पोरेट ऋणदाता के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए एक स्थगन लगाया गया है। इसके अलावा, आई. बी. सी. की धारा 25 के तहत आर. पी. की जिम्मेदारी है कि वह कॉर्पोरेट ऋणदाता को एक चालू चिंता के रूप में संरक्षित करे। निर्णय के प्रासंगिक भागों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: 1 2019 का विविध आवेदन संख्या 2954 8 कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) 2020 एस. एल. टी. डी. का संख्या 237।

वी. विशाल घिसलाल जैन, समाधान पेशेवर, के व्हील्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

" 10 ..... आदेश से यह देखा गया है कि प्रतिवादी को कानून के अनुसार कार्यों को पूरा करने के लिए अंतरिम समाधान पेशेवर (संक्षेप में आईआरपी) के रूप में नियुक्त किया गया था। धारा 14 को ध्यान में रखते हुए एक बार न्यायिक प्राधिकरण अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा स्थगन लागू किए जाने के बाद अंतरिम समाधान पेशेवर करेगा

निलंबन को देखते हुए कंपनी के मामलों के शीर्ष पर रहें

'निगमित ऋणदाता' के निदेशक मंडल का। अधिस्थगन लागू होने की तारीख से कंपनी के सुचारू संचालन के लिए 'कॉर्पोरेट देनदार' के व्यवसाय और गतिविधियों को पूरा करना होगा और कंपनी एक चालू संस्था के रूप में बनी रहेगी। इसके अलावा समाधान पेशेवर करेगा

एक चालू संस्था के रूप में कंपनी के सुचारू संचालन के लिए सुनिश्चित करें और समाधान पेशेवर के अनुसार कर्तव्यों का पालन करेंगे

आई एंड बी संहिता की धारा 25। धारा 25 की उप-धारा (2) (ए), समाधान पेशेवर तत्काल अभिरक्षा और नियंत्रण लेता है।

निगमित देनदार की सभी परिसंपत्तियों का, जिसमें निगमित देनदार का व्यावसायिक रिकॉर्ड भी शामिल है। इसके अलावा सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 25 की धारा 2 (बी) में कहा गया है कि "
(बी) तीसरे पक्ष के साथ कॉर्पोरेट देनदार की ओर से प्रतिनिधित्व और कार्य करें, न्यायिक, अर्ध-न्यायिक या मध्यस्थता कार्यवाही में कॉर्पोरेट देनदार के लाभ के लिए अधिकारों का प्रयोग करें;

संबंधित और सी. ए. होने के नाते एक आवेदन दायर किया। (एमबी) - 2954 न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष नोटिस की समाप्ति पर रोक लगाने की मांग करते हुए और अपीलार्थी को दिनांक 01.12.2016 के सुविधा समझौते को जारी रखने का निर्देश देने की मांग की। 11. पक्षकारों को सुनने के बाद न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने नोटिस की समाप्ति पर रोक लगा दी और अपीलार्थी को अनुबंध की शर्तों का बिना किसी असफलता के पालन करने का निर्देश दिया। कानून को ध्यान में रखते हुए, सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के बाद 'निगमित देनदार' कार्य करेगा और अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को जारी रखेगा। यह समाधान पेशेवर का कर्तव्य है कि वह कॉर्पोरेट ऋणदाता को एक चालू चिंता के रूप में रखे।

संहिता का मुख्य उद्देश्य कॉर्पोरेट ऋणदाता को एक चालू चिंता के रूप में रखना है। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने नोटिस की समाप्ति पर उचित रूप से रोक लगा दी और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा दिनांकित 18.12.2019 द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधता नहीं है।

एन. सी. एल. ए. टी. के फैसले ने वर्तमान अपील को जन्म दिया है।

वकील की प्रस्तुतियाँ

13. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री फेरेश्ते डी सेठना ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

एनसीएलटी ने आईबीसी की धारा 14 के प्रावधानों को गलत तरीके से पढ़ा है

((i)

जो स्थगन लागू होने के बाद निगमित ऋणदाता को वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान से संबंधित है। वर्तमान मामले में, अपीलार्थी की सेवाओं का लाभ उठा रहा है

निगमित देनदार, जिसके लिए धारा 14 का कोई अनुप्रयोग नहीं है; विवादित आदेश के परिणामस्वरूप, सुविधाओं का समझौता,

((ख)

जो एक निर्धारणीय अनुबंध है, वह एक गैर-समाप्ति योग्य अनुबंध बन गया है, जो विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 की धारा 14 के अधिदेश की अनदेखी करता है;

(iii) निगमित ऋणदाता को समाप्ति सूचना इसलिए जारी नहीं की गई थी क्योंकि यह सी. आई. आर. पी. से गुजर रहा था, बल्कि समझौते के भौतिक उल्लंघनों के कारण था। कई

समाप्ति सूचना जारी होने से पहले निगमित ऋणदाता को उल्लंघनों को सुधारने का अवसर दिया गया था।

(iv) सुविधा समझौता निगम ऋणदाता का एकमात्र अनुबंध नहीं है, जिसकी समाप्ति से निगम की मृत्यु हो जाएगी। निगमित देनदार व्यवसाय में है।

मोटर वाहन पुर्जों का, जो इसके संघ के ज्ञापन के मुख्य उद्देश्यों से स्पष्ट है;

(v)

आई. बी. सी. की धारा 60 (5) (सी) के तहत एन. सी. एल. टी. ऐसा नहीं कर सकती।

अपनी अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग करें जहां अधिकार क्षेत्र की पेटेंट की कमी है। आई. बी. सी. निगमित देनदार के साथ किए गए सभी अनुबंधों के वैधानिक ओवरराइड की अनुमति नहीं देता है। एक तीसरा पक्ष

समाप्ति का संविदात्मक अधिकार है;

(vi) आई. बी. सी. की धारा 25 के तहत आर. पी. का कर्तव्य एन. सी. एल. टी. के अधिकार क्षेत्र का निर्धारक नहीं है। इस तरह के कर्तव्य को एक निर्धारित वाणिज्यिक v में परिवर्तित करने के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है।

विशाल घिसलाल जैन, समाधान पेशेवर,ईएलएस पीवीटी। लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

पार्टी उन कम सेवाओं के लिए भुगतान करेगी जिनका वह लाभ उठाने के लिए तैयार नहीं है; और गुजरात में ऊर्जा विकास बनाम। अमित गुप्ता और अन्य "। , यह न्यायालय

किसी तीसरे पक्ष को अपने अनुबंध को समाप्त करने से रोक दिया था

निगमित देनदार के साथ क्योंकि समवर्ती थे

एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के निष्कर्षों में कहा गया है कि विचाराधीन अनुबंध कॉर्पोरेट देनदार का एकमात्र अनुबंध था, और तीसरे पक्ष द्वारा अनुबंध की समाप्ति केवल इसके बिना सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के आधार पर थी।

निगमित देनदार की ओर से कोई संविदात्मक चूक होना।

क्या उधिता सिंह, की ओर से पेश विद्वान वकील ने आग्रह किया कि:

एन. सी. एल. टी. धारा 60 (5) (सी) के तहत अधिकार क्षेत्र में निहित है।

तथ्य या कानून से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए आई. बी. सी.

सी. आई. आर. पी. से गुजर रही कंपनी का सम्मान; अपीलार्थी का तर्क है कि संविदात्मक विवाद कर सकता है

केवल मध्यस्थता और के प्रावधानों के माध्यम से निर्णय लिया जाए

भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 और विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 गलत हैं। आई. बी. सी. की धारा 238

अन्य कानूनों पर प्रबल प्रभाव। अशोक में यह न्यायालय

विपणन वी। पी. एन. बी. ने माना है कि दो विशेष कानून

गैर-अवरोधक खंडों की व्याख्या की जानी चाहिए

कानूनों के उद्देश्य को सामंजस्यपूर्ण रूप से देखते हुए। इसके अलावा,

गुजरात ऊर्जा (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि धारा 60 (5) (सी) के तहत एन. सी. एल. टी. का अवशिष्ट अधिकार क्षेत्र

आई. बी. सी. ने निर्णय लेने के लिए व्यापक विवेकाधिकार प्रदान किया है।

से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले कानून या तथ्य के प्रश्न

दिवाला समाधान कार्यवाही। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि आई. बी. सी. की धारा 14 इन आधारों का संपूर्ण विवरण नहीं है -

आई. बी. सी. के तहत अन्यथा न्यायिक हस्तक्षेप पर विचार किया गया

धारा 60 (5) (सी) को अनुचित माना जाएगा। ऐसा ही एक मैदान

सी 209; "गुजरात ऊर्जा"

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

हस्तक्षेप तब होता है जब एक चालू संस्था के रूप में निगमित ऋणदाता की स्थिति खतरे में होती है। इस प्रकार, एन. सी. एल. टी. के पास धारा 60 (5) (सी) के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की शक्ति है। आई. बी. सी. यह सुनिश्चित करने के लिए कि निगमित देनदार एक के रूप में जीवित रहे

चिंता हो रही है;

सुविधा समझौते के खंड 11 (बी) के संदर्भ में उल्लंघन को ठीक करने के लिए कॉर्पोरेट देनदार को तीस दिनों का नोटिस नहीं दिया गया था। समाप्ति सूचना दिनांकित सूचना को संदर्भित करती है।

3 अक्टूबर 2018, जिसे रिकॉर्ड में नहीं रखा गया है। जबकि 11 अक्टूबर 2018 को एक पत्र प्राप्त हुआ था

कॉर्पोरेट देनदार ने कमियों का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें अक्टूबर 2018 के अंत तक ठीक कर दिया गया था। यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि अक्टूबर 2018 के बाद, कॉर्पोरेट देनदार को 19 नवंबर 2018 और 3 फरवरी 2019 के अलावा कोई संचार प्राप्त नहीं हुआ था। निगमित देनदार ने किसी भी छोटी-मोटी कमी को सुधार लिया था जिसे उसके ध्यान में लाया गया था

अपीलार्थी तुरंत। इस प्रकार, यह आरोप कि कॉर्पोरेट देनदार द्वारा समझौते का भौतिक उल्लंघन किया गया था, गलत है।

अपीलार्थी को पता चला कि सी. आई. आर. पी. शुरू कर दी गई है।

कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ और तुरंत था

एक समझौते की समाप्ति जो कॉर्पोरेट देनदार के राजस्व सृजन का मुख्य स्रोत है, आई. बी. सी. के उद्देश्य के खिलाफ है जो परिकल्पना करता है कि कॉर्पोरेट ऋणदाता को एक चालू चिंता के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए।

यसिस

अब प्रतिद्वंद्वी विवादों पर विचार किया जाएगा।

एस लिमिटेड। वी. विशाल घिसलाल जैन, समाधान पेशेवर, <व्हील्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]16. अपील के आधार पर, इस न्यायालय में विचार के लिए दो मुद्दे सामने आए हैं:

क्या एन. सी. एल. टी. अपने अवशिष्ट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है

((i)

आईबीसी की धारा 60 (5) (सी) के तहत निर्णय लेने के लिए

पक्षों के बीच संविदात्मक विवाद; और

चाहे ऐसी अवशिष्ट अधिकारिता के प्रयोग में, यह

((ख)

विज्ञापन की समाप्ति पर अंतरिम रोक लगा सकते हैं

सुविधाओं का समझौता।

17. सुविधा समझौते के खंड 12 (डी) में प्रावधान है कि पक्षों के बीच मामले मध्यस्थता का विषय होंगे। ई इस प्रकार पढ़ता है:

" 12 विविध

घ) शासी कानून, विवाद समाधान और क्षेत्राधिकार: - यह समझौता भारत के कानूनों के अनुसार शासित और व्याख्या किया जाएगा।

इसके दलों के बीच विवादों या मतभेदों के मामले में, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के तहत मध्यस्थता का विषय होगा और इसके बाद के किसी भी संबंधित संशोधन को, जब तक कि पार्टियों के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा नहीं किया जाता है, मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा और ऐसा मध्यस्थता बॉम्बे चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ("बी. सी. सी. आई".) के मध्यस्थता के नियमों के अनुसार आयोजित किया जाएगा, जो समय-समय पर संशोधित नियम हैं, जिन्हें एकमात्र मध्यस्थ से बने मध्यस्थता पैनल द्वारा इस खंड ("मध्यस्थता नियम") में संदर्भ द्वारा शामिल किया गया माना जाता है। ऊपर उल्लिखित मध्यस्थता पैनल की नियुक्ति बी. सी. सी. आई. द्वारा की जाएगी। मध्यस्थता पैनल किसी भी विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से तीन (3) महीने के भीतर मध्यस्थता कार्यवाही में निर्णय देगा। मध्यस्थता का स्थान मुंबई होगा।

भारत।

पक्षकार इस बात पर सहमत हैं कि मध्यस्थता पैनल द्वारा पारित निर्णय अंतिम और पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा, और यह कि पक्षकारों को [2021] 10 एस. सी. आर. से या उससे उत्पन्न होने वाले

विवाद के किसी भी मामले के संबंध में किसी भी अदालत में कोई कार्रवाई शुरू करने या बनाए रखने का अधिकार नहीं होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समझौते के संबंध में, इस खंड के अनुसार एक मध्यस्थता पैनल द्वारा पारित मध्यस्थता पुरस्कार के प्रवर्तन को छोड़कर।"

18. धारा 238 में प्रावधान है कि आई. बी. सी. अन्य कानूनों को ओवरराइड करता है, जिसमें कानून के आधार पर प्रभाव रखने वाला कोई भी साधन शामिल है। खंड का पाठ

238 इस प्रकार निर्धारित करता है:

" धारा 238-अन्य कानूनों को ओवरराइड करने के लिए इस संहिता के प्रावधान

इस संहिता के प्रावधानों का प्रभाव होगा, इसके बावजूद कि उस समय लागू किसी अन्य कानून या किसी ऐसे दस्तावेज में कुछ भी असंगत है जो इसके आधार पर प्रभावी है -

ऐसा कोई भी कानून "।

19. इंडस बायोटेक (पी) लिमिटेड बनाम। कोटक इंडिया वेंचर

(ऑफशोर) फंड, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें हम में से एक हिस्सा था (न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना) ने कहा कि आई. बी. सी. की धारा 238

अन्य सभी कानूनों का उल्लंघन करता है। यह न्यायालय इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या पक्षकारों के बीच समझौते के संदर्भ में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 8 के तहत मध्यस्थता का संदर्भ आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत दायर आवेदन की जांच करने के लिए एन. सी. एल. टी. के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 27. जैसा कि उल्लेख किया गया है, जो मुद्दा हमारे विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है, वह आई. बी. संहिता की धारा 7 के तहत दायर एक याचिका में उत्पन्न हो रहा है, इसे स्वीकार करने से पहले और इसलिए अभी तक आर. ई. एम. में कार्रवाई नहीं की गई है। इस तरह के आवेदन में, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा अपनाया जाने वाला पाठ्यक्रम यदि -

1996 के अधिनियम की धारा 8 के तहत मध्यस्थता के संदर्भ के लिए आवेदन दायर किया गया है, जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। द.

कानून की स्थिति कि आई. बी. संहिता अन्य सभी पर हावी होगी आई. बी. संहिता की धारा 238 के तहत प्रदान किए गए कानूनों की आवश्यकताएँ

कोई विस्तार नहीं। उस दृष्टिकोण से, इस तथ्य के बावजूद कि कथित कॉर्पोरेट देनदार ने धारा 8 के तहत एक आवेदन दायर किया

1996 के अधिनियम के अनुसार, आई. बी. संहिता की धारा 7 के तहत दायर आवेदन और उसके साथ प्रस्तुत सामग्री पर स्वतंत्र रूप से विचार नहीं किया जाएगा। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी वित्तीय लेनदार द्वारा आई. बी. संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन के साथ उपलब्ध कराई गई सामग्री का विज्ञापन करने के लिए कर्तव्यबद्ध है ताकि निगमित देनदार के संस्करण के साथ चूक का संकेत दिया जा सके। इसका कारण यह है कि आई. बी. संहिता के तहत कार्यवाही के दायरे को ध्यान में रखते हुए और टी. सी. एस. लिमिटेड द्वारा विचार करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है।

वी. विशाल घिसलाल जैन, समाधान पेशेवर, एस. के. व्हील्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, प्रक्रिया को एक द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता है

कॉर्पोरेट देनदार केवल देरी करने के लिए चंद्रमा रक्षा बढ़ा रहा है

प्रक्रिया। उस दृष्टिकोण से, भले ही धारा 8 के तहत कोई आवेदन हो।

1996 के अधिनियम के तहत, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के पास एक आवेदन पर दी गई दलीलों का विज्ञापन करने का कर्तव्य

आई. बी. संहिता की धारा 7 के तहत दायर, सामग्री की जांच करें वित्तीय लेनदार द्वारा इसके समक्ष रखा जाता है और एक

अतः निगमित देनदार द्वारा प्रस्तुत विवाद यह निर्धारित करने के लिए भी ध्यान दिया जाए कि क्या कोई पदार्थ है

बचाव में और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि क्या वहाँ डिफ़ॉल्ट है। यदि न्यायनिर्णायक द्वारा अप्रतिरोध्य निष्कर्ष

प्राधिकरण यह है कि चूक है और ऋण देय है,

प्रक्रिया में देरी करने के लिए मध्यस्थता का बोगी उत्पन्न नहीं होगी

इस स्थिति के बावजूद कि पक्षों के बीच समझौता

निर्विवाद रूप से एक मध्यस्थता खंड शामिल है।

(जोर दिया गया)

20. गुजरात में ऊर्जा (ऊपर), इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ,

हममें से कौन एक हिस्सा था (न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़) ने कहा कि एक बिजली खरीद समझौता, जो एक द्विपक्षीय वाणिज्यिक अनुबंध है, धारा 238 के तहत एक 'साधन' है। विशेष रूप से, बिजली खरीद समझौता बशर्ते कि समझौते से संबंधित पक्षों के बीच विवादों पर गुजरात विद्युत नियामक आयोग द्वारा विचार किया जाएगा। लेकिन चूंकि धारा 238 आई. बी. सी. के प्रावधानों को कानून द्वारा प्रभावी किसी भी लिखत पर एक प्रबल प्रभाव प्रदान करती है, इसलिए यह माना गया कि एन. सी. एल. टी. का उस विवाद पर अधिकार क्षेत्र था जो दिवाला कार्यवाही के संदर्भ में उत्पन्न हुआ था। फैसले का प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिया गया है:

" 82. अपीलार्थी की ओर से यह आग्रह किया गया है कि धारा 238 एक के बीच एक द्विपक्षीय वाणिज्यिक अनुबंध पर लागू नहीं होता है

निगमित देनदार और एक तीसरा पक्ष और केवल वैधानिक पर लागू होता है

कानून के संचालन द्वारा किए गए अनुबंध या उपकरण। द.

इस प्रस्तुति का आधार यह है कि "उपकरण" शब्द होना चाहिए

में निहित प्रावधान के लिए एक अर्थ दिया गया है

कोई अन्य कानून "। हम इस तर्क में बल नहीं पाते हैं। अनुभाग

238 यह नहीं कहता है कि "उपकरण" को इसके द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए

कानून का संचालन; बल्कि यह बताता है कि उपकरण का प्रभाव है ऐसे किसी भी कानून का गुण। दूसरे शब्दों में, उपकरण की आवश्यकता नहीं है

एक कानून का निर्माण; यह एक कानून के आधार पर प्रवर्तनीय हो जाता है।

इसलिए, हम एन. सी. एल. टी. द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं। धारा 238 एक गैर-बाध्यकारी खंड द्वारा प्रस्तुत की गई है। एनसीएलटी के

वर्तमान मामले में अधिकारिता लागू की जा सकती है क्योंकि

कि निगमित ऋणी एक के अधीन हो गया था आई. बी. सी. के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया "।

(जोर दिया गया)

21. धारा 60 (5) (सी) एन. सी. एल. टी. को कानून या तथ्य के किसी भी प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए अवशिष्ट अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है, जो इससे या उसके संबंध में उत्पन्न होता है। निगमित ऋणदाता का दिवाला समाधान। धारा 60 (5) (सी) प्रदान करती है

इस प्रकार:

" धारा 60-निगमित व्यक्तियों के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण

(5) उस समय लागू किसी अन्य कानून में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, राष्ट्रीय कंपनी कानून

न्यायाधिकरण के पास विचार करने या निपटाने का अधिकार क्षेत्र होगा (ग) प्राथमिकताओं का कोई प्रश्न या उत्पन्न होने वाले कानून या तथ्यों का कोई प्रश्न।

इस संहिता के तहत निगमित देनदार या निगमित व्यक्ति के दिवाला समाधान या परिसमापन कार्यवाही से बाहर या उसके संबंध में।

सुविधा समझौते के खंड 12 (डी) में प्रावधान है कि कोई भी विवाद

मध्यस्थता अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए एन. सी. एल. टी. को बाहर नहीं करती है। निगमित ऋणदाता की दिवालियापन से संबंधित विवादों पर निर्णय लेने के लिए धारा 60 (5) (सी) के तहत अवशिष्ट शक्तियां।

22. अपीलार्थी ने आई. बी. सी. की धारा 25 पर एन. सी. एल. ए. टी. की निर्भरता को यह ठहराने के लिए चुनौती दी है कि आर. पी. सुविधाओं के समझौते की समाप्ति पर रोक लगाने के लिए एन. सी. एल. टी. के अधिकार क्षेत्र का आह्वान कर सकता है।

निगमित ऋणदाता को एक चालू चिंता के रूप में संरक्षित करना उसका कर्तव्य है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि एन. सी. एल. टी. का अधिकार क्षेत्र टी. सी. एस. लिमिटेड नहीं हो सकता है।

वी. विशाल घिसलाल जैन, समाधान पेशेवर, एस. के. व्हील्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

आर. पी. के कर्तव्यों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। रिलायंस को रखा गया था दूतावास संपत्ति विकास में इस न्यायालय का निर्णय

एन. सी. एल. टी. जबकि आर. पी. के कर्तव्य और एन. सी. एल. टी. के अधिकार क्षेत्र को जोड़ा नहीं जा सकता है, गुजरात ऊर्जा (ऊपर) में, इस न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि आर. पी. उन विवादों के निर्णय के लिए एन. सी. एल. टी. से संपर्क कर सकता है जो दिवाला समाधान प्रक्रिया से संबंधित हैं। लेकिन जब विवाद उत्पन्न होता है तो निगमित ऋणदाता की दिवालियापन को कम करता है, आर. पी. को संबंधित सक्षम प्राधिकारी (पैरा 72) से संपर्क करना चाहिए। हमने चर्चा की है कि क्या बाद के अनुच्छेदों में समाप्ति सूचना और दिवाला समाधान कार्यवाही के बीच एक संबंध है।

23. अपीलार्थी की ओर से यह भी आग्रह किया गया कि एनसीएलटी

और एन. सी. एल. ए. टी. ने विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 की धारा 1412 के अधिदेश को नजरअंदाज करते हुए अपनी प्रकृति को एक निर्धारित अनुबंध से एक गैर-समाप्त करने योग्य अनुबंध में बदलकर समझौते को फिर से लिखा है। यह कानून की एक स्थिर स्थिति है कि आई. बी. सी. एक पूर्ण संहिता है और धारा 238 अन्य सभी कानूनों को ओवरराइड करती है। अपने अवशिष्ट अधिकार क्षेत्र में एन. सी. एल. टी. को रहने का अधिकार है। समझौते की समाप्ति यदि यह गुजरात ऊर्जा (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है। किसी भी स्थिति में, एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के हस्तक्षेप को एन. सी. एल. टी. के पुनर्लेखन के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है।

पक्षों के बीच अनुबंध। एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. कॉर्पोरेट देनदार के अस्तित्व को बनाए रखने की जिम्मेदारी के साथ निहित हैं और यदि किसी तीसरे पक्ष द्वारा की गई कार्रवाई सी. आई. आर. पी. के तहत हस्तक्षेप कर सकती है।

24. अपीलार्थी की ओर से, यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि एन. सी. एल. ए. टी. ने आई. बी. सी. की धारा 14 को गलत पढ़ा है, जिसका कोई आवेदन नहीं है वर्तमान मामला। आई. बी. सी. की धारा 14 इस प्रकार प्रदान करती है:

" धारा 14-अधिस्थगन

(2020) 13 एस. सी. सी. 308

12 " धारा 14-अनुबंध जो विशेष रूप से लागू करने योग्य नहीं हैं निम्नलिखित अनुबंधों को विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, अर्थात्: (क) जहां अनुबंध के किसी पक्ष ने धारा 20 के प्रावधानों के अनुसार अनुबंध का प्रतिस्थापित प्रदर्शन प्राप्त किया है;

(ख) एक अनुबंध, जिसके निष्पादन में एक निरंतर कर्तव्य का प्रदर्शन शामिल है जिसकी अदालत निगरानी नहीं कर सकती है;

(ग) एक अनुबंध जो पक्षों की व्यक्तिगत योग्यताओं पर इतना निर्भर है कि न्यायालय अपनी भौतिक शर्तों के विशिष्ट प्रदर्शन को लागू नहीं कर सकता है; और

(घ) एक अनुबंध जो अपनी प्रकृति में निर्धारित करने योग्य है।

अर्थात्: (क) निगमित ऋणी के विरुद्ध किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण, मध्यस्थता पैनल या अन्य प्राधिकरण में किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के निष्पादन सहित लंबित मुकदमों या कार्यवाही की स्थापना या निरंतरता;

(बी) निगमित देनदार द्वारा अपनी किसी भी संपत्ति या उसमें किसी भी कानूनी अधिकार या लाभकारी ब्याज का हस्तांतरण, बोझ, अलगाव या निपटान;

(ग) प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत किसी भी कार्रवाई सहित अपनी संपत्ति के संबंध में निगमित देनदार द्वारा बनाए गए किसी भी प्रतिभूति हित को पूर्ववत करने, पुनर्प्राप्त करने या लागू करने के लिए कोई कार्रवाई;

(घ) मालिक या पट्टेदार द्वारा किसी संपत्ति की वसूली जहाँ

स्पष्टीकरण। इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद उस समय के लिए एक लाइसेंस, परमिट, पंजीकरण, कोटा,

केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, क्षेत्रीय नियामक या किसी अन्य कानून के तहत गठित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा दी गई रियायत, मंजूरी या इसी तरह का अनुदान या अधिकार।

तत्काल प्रभाव से, दिवालियापन के आधार पर निलंबित या समाप्त नहीं किया जाएगा, इस शर्त के अधीन कि उपयोग के लिए उत्पन्न होने वाले वर्तमान बकाया के भुगतान में कोई चूक नहीं है या

लाइसेंस, परमिट, पंजीकरण, कोटा, रियायत की निरंतरता, स्थगन अवधि के दौरान मंजूरी या इसी तरह का अनुदान या अधिकार;

(2) निगमित देनदार को आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति, जैसा कि निर्दिष्ट किया जाए, समाप्त नहीं की जाएगी।

या अधिस्थगन अवधि के दौरान निलंबित या बाधित किया गया।

(2ए) जहां अंतरिम समाधान पेशेवर या समाधान पेशेवर, जैसा भी मामला हो, कॉर्पोरेट टी. सी. एस. एल. टी. डी. के मूल्य की रक्षा और संरक्षण के लिए वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति को महत्वपूर्ण मानता है।

वी. विशाल घिसलाल जैन, समाधान पेशेवर, एस. के. व्हील्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

देनदार और ऐसे निगमित देनदार के संचालन का प्रबंधन संबंधित होने पर, ऐसी वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति नहीं होगी

अवधि के दौरान समाप्त, निलंबित या बाधित किया जाए

स्थगन, सिवाय इसके कि जहां ऐसे निगमित देनदार ने भुगतान नहीं किया है

अधिस्थगन अवधि के दौरान या इस अवधि में ऐसी आपूर्ति से उत्पन्न बकाया

ऐसी परिस्थितियाँ जो विनिर्दिष्ट की जाएं। (3) उप-धारा (1) के प्रावधान इन पर लागू नहीं होंगे -

केंद्र सरकार द्वारा किसी के परामर्श से अधिसूचित किया जाए वित्तीय क्षेत्र नियामक या कोई अन्य प्राधिकरण;

(ख) किसी निगमित देनदार को गारंटी के अनुबंध में एक जमानत।

(4) अधिस्थगन का आदेश की तारीख से प्रभावी होगा

निगमित दिवाला समाधान के पूरा होने तक ऐसा आदेश

प्रक्रिया:

बशर्ते कि जहां किसी भी समय कॉर्पोरेट दिवालियापन के दौरान

समाधान प्रक्रिया अवधि, यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण मंजूरी देता है धारा 31 की उप-धारा (1) के तहत समाधान योजना या पारित

अधिस्थगन की तारीख से प्रभाव समाप्त हो जाएगा अनुमोदन या परिसमापन आदेश, जैसा भी मामला हो।

(जोर दिया गया)

मान लीजिए, अपीलार्थी न तो किसी वस्तु या सेवा की आपूर्ति कर रहा है

धारा 14 (2) के संदर्भ में निगमित देनदार को और न ही वह किसी ऐसी संपत्ति की वसूली कर रहा है जो निगमित देनदार के कब्जे या कब्जे में है।

धारा 14 के तहत परिकल्पित ऐसी संपत्ति के मालिक या पट्टेदार के रूप में

(1) (डी)। यह निगमित देनदार की सेवाओं का लाभ उठा रहा है और उस संपत्ति का उपयोग कर रहा है जिसे निगमित देनदार द्वारा पट्टे पर दिया गया है। अतः धारा 14 वास्तव में वर्तमान मामले में लागू नहीं होती है। हालांकि, इसमें

गुजरात ऊर्जा (ऊपर) यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आई. बी. सी. के तहत परिकल्पित न्यायिक हस्तक्षेप के आधारों के संदर्भ में एन. सी. एल. टी. का अधिकार क्षेत्र धारा 14 द्वारा सीमित नहीं है। यह दिवाला समाधान प्रक्रिया से संबंधित या उसके दौरान उत्पन्न होने वाले कानून और तथ्यों के प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए धारा 60 (5) (सी) के तहत अपने अवशिष्ट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है। इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

" 91. धारा 60 (5) (सी) के तहत एन. सी. एल. टी. का अवशिष्ट अधिकार क्षेत्र

आई. बी. सी. इसे कानून के प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए एक व्यापक विवेकाधिकार प्रदान करता है।

या दिवाला संकल्प [2021] 10 एस. सी. आर. से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाला तथ्य।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कार्यवाही। यदि एन. सी. एल. टी. के अधिकार क्षेत्र को सीमित किया जाना था

आई. बी. सी. की धारा 14 द्वारा निषिद्ध कार्यों के लिए आई. बी. सी. की धारा 60 (5) (सी) को लागू करने की विधायिका के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि धारा 14 को न्यायिक हस्तक्षेप के आधारों से पूर्ण माना जाता है तो धारा 60 (5) (सी) को अनुचित माना जाएगा।

आई. बी. सी. के तहत निगमित देनदार के मूल्य और "चालू चिंता" के रूप में इसकी स्थिति को संरक्षित करने के मामलों पर विचार किया गया। हम जल्दी करते हैं।

यह जोड़ना कि एन. सी. एल. टी. द्वारा अवशिष्ट शक्ति के प्रयोग की वैधता पर हमारा निष्कर्ष इस मामले के तथ्यों पर आधारित है। हम एन. सी. एल. टी. द्वारा अवशिष्ट शक्ति के प्रयोग की रूपरेखा पर एक सामान्य सिद्धांत निर्धारित नहीं कर रहे हैं। हालाँकि, यह उल्लेख करना उचित है कि एन. सी. एल. टी. दिवाला कार्यवाही को बाधित करने वाले मामलों पर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता है क्योंकि ऐसे मामले बाहर आते हैं।

आईबीसी का क्षेत्र। धारा 60 (5) (सी) की कोई अन्य व्याख्या सतीश कुमार गुप्ता [एस्सार स्टील (इंडिया) लिमिटेड (सी. ओ. सी.) बनाम मामले में इस न्यायालय के निर्णय के विपरीत होगी। सतीश कुमार गुप्ता, (2020) 8 एससीसी 531: (2021) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 443] ”

25. सी. आई. आर. पी. की शुरुआत से पहले, अपीलार्थी ने कई उदाहरणों पर निगमित देनदार को सूचित किया था कि

इसकी सेवाओं में कमियाँ। निगमित ऋणदाता को सूचित किया गया था कि सुविधा समझौते के दंड और समाप्ति खंडों को लागू किया जा सकता है। यह 1 अगस्त 2018,17 सितंबर 2018,1 अक्टूबर 2018 और 11 अक्टूबर 2018 के अपीलार्थी के संचार से स्पष्ट है। 13 अक्टूबर 2018 को अपने ईमेल में अपीलार्थी ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि

कॉर्पोरेट देनदार द्वारा प्रदान किया जा रहा हाउसकीपिंग कर्मचारी अपर्याप्त था। अपीलार्थी को स्पष्ट रूप से हाउसकीपिंग के लिए अपने स्वयं के कर्मचारियों को तैनात करने के लिए विवश किया गया था, जो 19 नवंबर 2018 के अपने ईमेल से स्पष्ट है। निगमित देनदार ने स्वीकार किया है कि अपीलार्थी अपने स्वयं के हाउसकीपिंग कर्मचारियों का उपयोग कर रहा था और चालान से लागत काट रहा था। द. अपीलार्थी ने फिर से कॉर्पोरेट ऋणदाता को यूपीएस की दोषपूर्ण बैटरियों को बदलने और 3 फरवरी 2019 के अपने ईमेल में सफाई उत्पाद प्रदान करने के लिए सूचित किया। 10 जून 2019 का समाप्ति नोटिस भी स्पष्ट रूप से कॉर्पोरेट देनदार की सेवाओं में कमियों को दर्शाता है। समाप्ति सूचना में निम्नलिखित कमियों का उल्लेख किया गया है:

" 1. परीक्षा और गैर-परीक्षा के दिनों में व्यक्तिगत कौशल के न्यूनतम स्तर को बनाए नहीं रखना जो कि अनुसार गैर-अनुपालन है

अनुलग्नक बी, तालिका सी, और प्रक्रिया का उल्लंघन भी।

2. टी. सी. एस. लिमिटेड के दिशानिर्देशों (अनुलग्नक बी, तालिका डी) का पालन नहीं किया जा रहा है।

वी. विशाल घिसलाल जैन, समाधान पेशेवर, एस. के. व्हील्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे।]

ए) फर्नीचर टूटी हुई स्थिति

ख) प्रयोगशाला, सर्वर कक्ष और यूपीएस कक्षों में तापमान और वेंटिलेशन

ग) आवास कर्मचारियों की तैनाती

घ) स्वच्छता और केंद्र का रखरखाव

3. ब्रांडिंग और नौवहन सुविधा समझौते के अनुलग्नक एफ के साथ समन्वय में नहीं है।

26. गुजरात ऊर्जा (ऊपर) में, विचाराधीन अनुबंध को एक तीसरे पक्ष द्वारा एक इप्सो फैक्टो खंड के आधार पर समाप्त कर दिया गया था, यानी दिवालिया होने का तथ्य स्वयं एक चूक की घटना थी। इस संदर्भ में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पक्षों के बीच संविदात्मक विवाद निगमित देनदार की दिवालियापन के संबंध में उत्पन्न हुआ और यह धारा 60 (5) (सी) के तहत एन. सी. एल. टी. के अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी था। इस न्यायालय ने कहा कि "। ... . एन. सी. एल. टी. के पास विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है, जो उत्पन्न होते हैं।

केवल निगमित देनदार से या जो दिवालिया होने से संबंधित है। निगमित देनदार की दिवालियापन के साथ सांठगांठ

अस्तित्व में होना चाहिए "(पैरा 69)। इस प्रकार, एन. सी. एल. टी. के अवशिष्ट अधिकार क्षेत्र को लागू नहीं किया जा सकता है यदि किसी अनुबंध की समाप्ति कॉर्पोरेट देनदार की दिवालियापन से असंबंधित आधारों पर आधारित है।

27. यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने बार-बार निगमित देनदार को सूचित किया था कि उसकी सेवाओं में कमी थी और यह गलत हो रही थी

अपने संविदात्मक दायित्वों से। यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि सुविधाओं के समझौते की समाप्ति कॉर्पोरेट देनदार की दिवालियापन से प्रेरित थी। घटनाओं के प्रक्षेपवक्र से यह स्पष्ट होता है कि 10 जून 2019 के समाप्ति नोटिस में उल्लिखित कथित उल्लंघन कॉर्पोरेट देनदार की दिवालियापन के कारण समझौते को समाप्त करने के लिए एक स्मोकस्क्रीन नहीं थे। इस प्रकार, हमारा विचार है कि एन. सी. एल. टी. के पास वर्तमान संविदात्मक विवाद पर विचार करने के लिए कोई अवशिष्ट अधिकार क्षेत्र नहीं है जो कॉर्पोरेट देनदार की दिवालियापन को कम करता है। विवाद पर अधिकार क्षेत्र के अभाव में, एन. सी. एल. टी. समाप्ति नोटिस पर अंतरिम रोक नहीं लगा सकता था। एन. सी. एल. ए. टी. ने एन. सी. एल. टी. के अंतरिम आदेश को गलत तरीके से बरकरार रखा है।

28. जबकि वर्तमान मामले में, इस न्यायालय द्वारा तैयार किए गए दूसरे मुद्दे का कोई असर नहीं है, हम सावधान करने के लिए एक नोट जारी करना चाहेंगे

एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. एक अनुबंध को समाप्त करने के लिए एक पक्ष के संविदात्मक अधिकार में हस्तक्षेप के संबंध में। भले ही संविदात्मक विवाद [2021] 10 एस. सी. आर. में उत्पन्न हो।

दिवाला के संबंध में, एक पक्ष को अनुबंध को समाप्त करने से केवल तभी रोका जा सकता है जब यह सी. आई. आर. पी. की सफलता के लिए केंद्रीय हो। महत्वपूर्ण रूप से, अनुबंध की समाप्ति के परिणामस्वरूप

कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट मृत्यु हो जानी चाहिए। गुजरात ऊर्जा (ऊपर) में, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

" 176. यह देखते हुए कि धारा 60 (5) (सी) में उपयोग किए गए शब्द व्यापक हैं।

आयात, जैसा कि प्राधिकरण की एक सुसंगत रेखा में मान्यता प्राप्त है, हम मानते हैं कि

एन. सी. एल. टी. को अपीलार्थी को बर्खास्त करने से रोकने का अधिकार था

पीपीए। हालाँकि, हमारा निर्णय मान्यता पर आधारित है

सी. आई. आर. पी. की सफलता के लिए वर्तमान मामले में पी. पी. ए. की केंद्रीयता,

इस मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स में, क्योंकि यह एकमात्र अनुबंध है

बिजली की बिक्री जो निगम द्वारा की गई थी

ऋणी। ऐसा करते हुए हम दोहराते हैं कि एन. सी. एल. टी. इस मामले में पी. पी. ए. की समाप्ति को अलग करने का अधिकार है क्योंकि

समाप्ति पूरी तरह से दिवालिया होने के आधार पर हुई थी। द.

आई. बी. सी. की धारा 60 (5) (सी) के तहत एन. सी. एल. टी. का अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकता है

निगमित देनदार की दिवालियापन से असंबंधित। और भी ज्यादा। महत्वपूर्ण रूप से, इसे वैध होने की स्थिति में भी लागू नहीं किया जा सकता है

अनुच्छेद जैसे इप्सो फैक्टो खंड के आधार पर अनुबंध की समाप्ति

भविष्य के मामलों में, एन. सी. एल. टी. को वैध को अलग रखने से सावधान रहना होगा संविदात्मक समाप्ति जो केवल के मूल्य को कम कर देगी

निगमित देनदार, और इसे अपनी निगमित मृत्यु की ओर नहीं धकेलता है यह कॉर्पोरेट देनदार का एकमात्र अनुबंध होने के कारण (जैसा कि था)

इस मामले के अद्वितीय तथ्यात्मक मैट्रिक्स में मामला)।

177. वर्तमान मामले में हमारे हस्तक्षेप की शर्तें सीमित हैं।

न्यायिक हस्तक्षेप से पुनरुद्धार के लिए एक उपजाऊ जमीन नहीं बननी चाहिए एस. आई. सी. ए. की धारा 22 के तहत शासन के लिए प्रावधान किया गया

व्यापक अनुबंधों का निलंबन। एस. आई. सी. ए. की धारा 22 पीछे के दरवाजे से अंदर नहीं लाया जा सकता है। हमारा आधार

इस मामले में हस्तक्षेप इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि अगर हम अनुमति देते हैं पी. पी. ए. की समाप्ति जो इसका एकमात्र अनुबंध है

निगमित देनदार, जो बिजली की आपूर्ति को नियंत्रित करता है

यह उत्पन्न करता है, यह सी. आई. आर. पी. के तहत से गलीचा बाहर खींच लेगा,

निगमित देनदार की निगमित मृत्यु पूर्ववत निष्कर्ष।"

(जोर दिया गया)

TCS LTD. वी. विशाल घिसलाल जैन, समाधान पेशेवर, एस. के. व्हील्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

29. गुजरात ऊर्जा (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा तैयार किए गए संकीर्ण अपवाद को अंतरिम राहत के लिए प्रार्थनाओं की जांच करते समय भी एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए। एन. सी. एल. टी. का दिनांक 18 का आदेश

दिसंबर 2019 इस बात का संकेत नहीं देता है कि एन. सी. एल. टी. ने सी. आई. आर. पी. और कॉर्पोरेट देनदार के अस्तित्व की सफलता के लिए सुविधाओं के समझौते की केंद्रीयता पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। एन. सी. एल. टी. ने समाप्ति सूचना जारी करने में अपीलार्थी की ओर से केवल प्रक्रियात्मक दुर्बलता पर भरोसा किया है, यानी उसने सेवा में कमी को दूर करने के लिए निगमित ऋणदाता को तीस दिनों की सूचना अवधि नहीं दी है। एन. सी. एल. ए. टी. ने अपने विवादित फैसले में कहा है कि

एन. सी. एल. टी. निगमित ऋणदाता की 'चालू चिंता' की स्थिति को संरक्षित रखता है लेकिन इस बात का कोई तथ्यात्मक विश्लेषण नहीं है कि सुविधा समझौते की समाप्ति किस तरह निगमित ऋणदाता के अस्तित्व को खतरे में डाल देगी।

30. मान लीजिए, इस न्यायालय ने एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. की घोषणाओं के बाद गुजरात ऊर्जा (ऊपर) में वर्तमान विषय पर कानून को स्पष्ट किया है। आगे बढ़ते हुए, एन. सी. एल. टी. की अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग उपरोक्त निर्णय द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। 31. हम तदनुसार 24 जून 2020 के एन. सी. एल. ए. टी. के फैसले को दरकिनार करते हैं। अपीलार्थी के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही अधिकार क्षेत्र के अभाव में खारिज हो जाएगी। अपील का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होता है।

32. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

अपील का
निपटारा किया गया।

दिव्या पांडे